

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
NEW DELHI: DATED THE 12th June 1984

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

No. 5864 (F.No.197-A/172/82-IT(AI): In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Volkart Foundation, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 and 1986-87.

sdh
(R. K. TEWARI)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,
Government of India,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

Copy to:-

- rice*
1. Shri A.N.Tobaccowala, Chairman, Volkart Foundation, Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Bombay-400023.
 2. The Commissioner of Income-tax, Bombay City-IV, Bombay, with ref.to his letter B.C.No.TC/289(25)/83-84 dt.16.12.83.
 3. All Commissioners of Income-tax.
 4. Directors of Ins.(IT)/(R&S)/(P&PR)/(Inv.), New Delhi.
 5. Director of D&M Services (Income-tax), 1st Floor, Aiwan-e-Ghali Mata Sundri Lane, New Delhi (5 copies).
 6. All Officers & Sections of I.T.Wing of C.B.D.T., New Delhi.
 7. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi (20 copies).
 8. Bulletin Section of Dte. of Ins.(P&PR), New Delhi (5 copies).
 9. Director of Training, IRS, National Academy of Direct Taxes, Staff College, Nagpur (5 copies).
 10. Shri P.K.Kartha, Jt. Secy., Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs), New Delhi.

A. K. Ram
(ATMA RAM)
SECTION OFFICER
I.T.(AI) SECTION

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(11) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12, जुन 1984

अधिसूचना
(आय-कर)

सं० 586 प (फा० सं० 197-ए/172/82-आ० के० (नि०-1) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उप-खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "वोल्कार्ट फाउंडेशन, बम्बई" को कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1986-87 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

21/6

(आ० के० तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मध्यापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।

* शर्मा *

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(11) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12, जुन 1984

अधिसूचना
(आय-कर)

सं० 586 प (फा० सं० 197-ए/172/82-आ० के० (नि०-1) : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23ग) के उप-खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "वोल्कार्ट फाउंडेशन, बम्बई" को कर निर्धारण-वर्ष 1985-86 से 1986-87 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

21/6

(आ० के० तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मध्यापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।

* शर्मा *